भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-22-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला छिन्दवाड़ा की तहसील छिन्दवाड़ा की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 के पटवारी हल्का क्र. 19, 20, 22 एवं 23, राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 के पटवारी हल्का क्र. 05 एवं 08 से 17 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 के पटवारी हल्का क्र. 18, 21 एवं 63 को अपवर्जित करती हुए, परिवर्तित करती है और तहसील छिन्दवाड़ा के राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 के पटवारी हल्का क्र. 19, 20, 22 एवं 23, राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 के पटवारी हल्का क्र. 19, 20, 22 एवं 23, राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 के पटवारी हल्का क्र. 19, 20, 21 एवं 63 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील छिन्दवाड़ा नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 18 पटवारी हल्के होंगे और 26 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय छिन्दवाड़ा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-22-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-22-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-22-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Chhindwara of District Chhindwara from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 19, 20, 22 and 23 of Revenue Inspector Circle-1, Patwari Halka No. 05 and 08 to 17 of Revenue Inspector Circle-2 and Patwari Halka No.18, 21 and 63 of Revenue Inspector Circle-3 and creates an new Tehsil Chhindwara Nagar by comprising of Patwari Halka No. 19, 20, 22 and 23 of Revenue Inspector Circle-1 Patwari Halka No. 05 and 08 to 17 of Revenue Inspector Circle-2 and Patwari Halka No. 18, 21 and 63 of Revenue Inspector Circle-3 of Tehsil Chhindwara, in which the total Patwari Halkas shall be 18 and villages Shall be 26. The headquarter of the said Tehsil shall be at Chhindwara.

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-23-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला ग्वालियर की तहसील ग्वालियर की सीमाएं, उसमें से, निम्न अनुसूची के कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित किये गये क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित नाम से तीन नवीन तहसीलों का गठन, उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित किये गये क्षेत्र को समाविष्ट करते हुये करती है. गिठत नवीन तहसीलों के मुख्यालय निम्न अनुसूची में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित अनुसार होंगे :—

स. तहसील गठित क्र. का तहसील का नाम मुख्यालय

(1) (2) (3) (4)

1 तानसेन हस्तिनापुर तहसील ग्वालियर के राजस्व निरीक्षक मण्डल वेहट के 12 पटवारी हल्के के 28 ग्राम एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल हस्तिनापुर के 17 पटवारी हल्के के 39 ग्राम-कल 29 पटवारी हल्कों के 67 ग्राम.

पुरार मुरार तहसील ग्वालियर के राजस्व निरीक्षक मण्डल मुरार के 10 पटवारी हल्के के 29 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागांव के 12 पटवारी हल्के के 25 ग्राम एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल सुपावली के 15 पटवारी हल्के के 30 ग्राम-कुल 37 पटवारी हल्कों के 84 ग्राम.

3 सिटी सेंटर सिटी तहसील ग्वालियर के राजस्व निरीक्षक
सेंटर मण्डल महल गांव के 07 पटवारी
ग्वालियर हल्के के 19 ग्राम राजस्व निरीक्षक मण्डल
(ओहदपुर) मेहरा के 07 पटवारी हल्के के 17 ग्राम
एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल उटीला के
08 पटवारी हल्के के 16 ग्राम-कुल 22
पटवारी हल्कों के 52 ग्राम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हरि रंजन राव,** प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-23-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-23-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हरि रंजन राव**, प्रमुख सचिव.